



नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २४] काठमाडौं, वैशाख १ गते २०३१ साल [पूर्वातिरिक्ताङ्क १

श्री ५ को सरकार
कानून तथा न्याय मन्त्रालयको
सूचना

नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ (संशोधन सहित) को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले यो आदेश जारी गरेको छ ।

खण्ड १५ मिति २०२२।६।६ अतिरिक्ताङ्क १७ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित यस मन्त्रालयको सूचनाबमोजिम गठन भएको वाग्मती विशेष अदालतको एक सदस्यमा वाग्मती अञ्चल अदालतका तत्कालीन अतिरिक्त अञ्चल न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्तको सट्टा ललितपुर जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश श्री अम्बरबहादुर प्रधानलाई तोकी हेरफेर गरिएको छ ।

आज्ञाले—

चूडामणिराज सिंह मल्ल
श्री ५ को सरकारको सचिव

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

रफाचार लापरवाही

६ मास

नवीकरण ग्राहकाकडून कि. ५ कि.

१. नुकताकरीतीकडून [मास १६०९ ते १७०९] [४५६४]

ग्राहकाकडून कि. ५ कि.

किताबालागून मास १६०९ ते १७०९

ग्राहकाकडून

ग्राहकाकडून कि. ५ कि. (नवीकरण ग्राहकाकडून) १६०९ ते १७०९ [मास १६०९ ते १७०९]

१. उ. किताब किताब किताब कि. ५ कि. किताब किताब

मास १६०९ ते १७०९ [मास १६०९ ते १७०९] [४५६४]

किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब

किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब

किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब

१. उ. किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब

किताब

किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब

किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब किताब

४०

२६